भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3702**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

रबर का आयात

3702. डॉ. शशि थरूरः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आरएसएस-4 प्राकृतिक रबर के वार्षिक औसत मूल्य और घरेलू उत्पादन, खपत एवं आयात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने प्राकृतिक रबर के उत्पादकों को लाभकारी आय सुनिश्चित करने और रबर की खेती की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए रबर बोर्ड के माध्यम से कोई उपाय किए हैं या करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार लगातार मूल्य अस्थिरता और बढ़ती उत्पादन लागत को देखते हुए राष्ट्रीय रबर मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना न करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने कम्पाउंडेड रबर के निरंतर आयात, मुक्त व्यापार समझौते के प्रावधानों के कथित दुरुपयोग और तीसरे देश के माध्यम से इसकी रूटिंग तथा घरेलू प्राकृतिक रबर की कीमतों और उत्पादकों पर उनके प्रभाव से संबंधित चिंताओं की जाँच की है और यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्राकृतिक रबड़ (आरएसएस-4 ग्रेड) के घरेलू उत्पादन, खपत, आयात और वार्षिक औसत मूल्य का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) भारत सरकार, रबड़ बोर्ड के माध्यम से देश में प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र के लाभ हेतु 'प्राकृतिक रबड़ क्षेत्र का सतत और समावेशी विकास' योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, रबड़ बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ प्राकृतिक रबड़ के रोपण/पुनर्रोपण, वर्षा संरक्षण, बेहतर कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और रोगों की रोकथाम के लिए वित्तीय/तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत बोर्ड द्वारा क्षमता निर्माण कार्यक्रम अर्थात प्रशिक्षण, प्रदर्शन और कौशल विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इनमें प्रशिक्षित टैपर्स की उपलब्धता, टैपिंग दक्षता में सुधार और शीटों की गुणवत्ता प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। उपर्युक्त उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, देश में उगाए जाने वाले प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करते हैं और उत्पादकों को लाभकारी रिर्टन देने और रबड़ की खेती की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करने में सहायता करते हैं।

इसके अलावा, सरकार ने प्राकृतिक रबड़ के आयात को विनियमित करने के उद्देश्य से दिनांक 30.4.2015 से सूखे रबड़ के आयात पर शुल्क को "20% या 30 रुपये प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो", की बाध्य दर से बढ़ाकर "25% या 30 रुपये प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो," (बाउंड रेट) कर दिया था। सरकार ने जनवरी 2015 में एडवांस लाइसेंसिंग योजना के तहत आयातित सूखे रबड़ के उपयोग की अवधि को भी 18 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया था। जनवरी 2016 में प्राकृतिक रबड़ के आयात के लिए प्रवेश बंदरगाह को भी चेन्नई और न्हावा शेवा के बंदरगाहों तक सीमित कर दिया गया था। इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2023-24 में, मिश्रित रबड़ पर सीमा शुल्क की दर को 10% से बढ़ाकर 25% या 30 रुपये प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो, कर दिया गया था। वर्तमान में, वाणिज्य विभाग में राष्ट्रीय रबड़ मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्राकृतिक रबड़ की कीमते खुले बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भी घरेलू कीमतों को प्रभावित करती हैं। अप्रैल से जून, 2026-27 की अवधि के दौरान केरल के कोट्टायम में प्राकृतिक रबड़ (आरएसएस 4 ग्रेड) का औसत कीमत 253.21 रुपये प्रति किलोग्राम रही, जबकि वर्ष 2025-26 के दौरान यह औसत कीमत 197.32 रुपये प्रति किलोग्राम थी, अर्थात इसमें 28.32 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

अनुलग्नक ।

दिनांक 11.08.2026 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3702 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक ।

वर्ष	उत्पादन (एमटी)	खपत (एमटी)	आयात (एमटी)	कीमत- आरएसएस 4 (रुपये/किलोग्राम) (कोट्टायम)
2023-24	8,57,000	14,16,000	4,92,682	155.72
2024-25	8,75,000	14,10,000	5,50,918	199.85
2025-26	9,05,000	14,27,000	4,59,081	197.32
2026-27(जून2026 तक)*	1,49,000	3,41,000	1,14,588	253.21

*अनंतिम (स्रोत: रबड़ बोर्ड)
